



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226085  
CG-DL-E-25032021-226085

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943

No. 159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2021

**सा.का.नि. 208(अ.).**—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत अपील अधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2004 के अधिक्रमण में, विद्युत अपील अधिकरण में कतिपय पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत अपील अधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना:-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-I के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची-I के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची-I के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-  
i. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

- ii. जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
8. **सेवा की अन्य शर्तें -** (1) विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-II में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे।
- (2) विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, समय-समय पर ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो वेतन-मैट्रिक्स के तत्समान स्तर में वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

### अनुसूची-I

[नियम 2, 3 और 4 देखें]

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.रजिस्ट्रार	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' के पद समतुल्य।	स्तर- 14 (1,44,200- 2,18,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति।	<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य का धारक हों;</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13क 131100-216600/-₹ या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ग) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 123100-215900/-₹ या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(घ) जो नियमित आधार पर जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश या रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार का पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ङ) जिन्होंने उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार (वेतनमान) के पद पर नियमित रूप से पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>खोजवीन-सह-चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i) अध्यक्ष, एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के अपर सचिव या उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी, जिन्हें सचिव, विधायी विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. उप रजिस्ट्रार	02 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' के पद के समतुल्य।	स्तर - 12 (78,800-2,09,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या केंद्रीय या राज्य सरकार के विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य धारक हों; (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700/- ₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; या (ग) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500/- ₹) और स्तर 11 (67700-208700/- ₹) (संयुक्त सेवा) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की संयुक्त सेवा की हों; या (घ) जो किसी उच्च न्यायालय में अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार का नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हों; या (ङ) जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारी के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।  <b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच	विभागीय प्रोन्नति समिति-सह-चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) अध्यक्ष, एपटेल – अध्यक्ष ii) न्यायिक सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम सदस्य, एपटेल – सदस्य iii) रजिस्ट्रार, एपटेल – सदस्य iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 या उससे ऊपर के स्तर के समूह "क" के अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

<p>वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. निदेशक (प्रशासन)	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' के पद के समतुल्य।	स्तर - 12 (78,800-2,09,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/- ₹) के पद में ऐसे प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>(क) जो प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन, स्थापना मामलों, लेखांकन और प्रोटोकॉल के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों;</p> <p>(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य धारक हों;</p> <p><b>टिप्पण-1:-</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वाशासी या कानूनी संगठनों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700/-₹) या</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i) अध्यक्ष, एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) रजिस्ट्रार, एपटेल – सदस्य</p> <p>iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 या उससे ऊपर के स्तर के समूह "क" के अधिकारी – सदस्य</p>	लागू नहीं होता

	<p>समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53700-167800/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की संयुक्त सेवा की हों;</p> <p>(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों या अधिकरणों में से जो प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन, स्थापना मामलों, लेखांकन और प्रोटोकॉल के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों; और</p> <p>(ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य के धारक हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	स्तर - 11  (67,700-2,08,700/-₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा</b></p> <p><b>टिप्पण:-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन के लिए :-</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वाशासी या कानूनी संगठन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800/-₹) और स्तर 10 (56100-177500/-₹) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100/-₹) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य के धारक हों और केंद्रीय सरकारी निकायों के कार्यालयों में प्रशासन, लेखांकन, स्थापना मामलों और प्रोटोकॉल में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।</p> <p><b>वांछनीय:</b> केंद्रीय/राज्य सरकार के मान्यताप्राप्त किसी लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवाएं (एसएएस) परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p><b>विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <p>i) अध्यक्ष, एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) रजिस्ट्रार, एपटेल – सदस्य</p> <p>iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से उप सचिव के स्तर के समूह “क” के अधिकारी – सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. प्रधान निजी सचिव	05 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' के पद के समतुल्य।	स्तर - 11 (67,700-2,08,700/-₹)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नत हुए हैं, के लिए दो वर्ष।

किया जा सकता है।							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा</p> <p>टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।</p>	<p><b>प्रोन्नति:-</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100/-₹) में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निजी सचिव के रूप में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400/-₹) में जिन्होंने कोर्ट मास्टर के रूप में 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो और आशुलिपि (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:-</b> पात्र अभ्यर्थियों को 120 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की आशुलिपि (अंग्रेजी) की कौशल परीक्षा देनी होगी तथा उसमें उत्तीर्ण होना होगा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन:</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अधिकरणों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों; और</p> <p>(ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i) अध्यक्ष, एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) न्यायिक सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम सदस्य, एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) रजिस्ट्रार, एपटेल – सदस्य</p> <p>iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से उप सचिव के स्तर के समूह "क" के अधिकारी – सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>



	<p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. निजी सचिव।	05 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' के पद के समतुल्य।	स्तर - 8 (47,600-1,51,100/- ₹)।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा</p> <p><b>टिप्पण :-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।</p>	<p><b>प्रोन्नति:-</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/- ₹) में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैयक्तिक सहायक के रूप में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और आशुलिपि (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- पात्र अभ्यर्थियों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की आशुलिपि (अंग्रेजी) की कौशल परीक्षा में भाग लेना होगा तथा उसमें उत्तीर्ण होना होगा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन:</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी;</p>	<p><b>विभागीय प्रोन्नति समिति /चयन समिति प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <p>i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल – सदस्य</p> <p>iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव के स्तर के समूह "क" के अधिकारी – सदस्य</p>	लागू नहीं होता

	<p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/-₹) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों; और</p> <p>(ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. कोर्ट मास्टर।	04 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 7 (44,900-1,42,400/-₹)।	अचयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी	आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय विधि में डिग्री।  कौशल परीक्षा के मानदंड- आशुलिपि (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की अवधि का श्रुतलेखन और अंग्रेजी टंकक में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिप्यंतरण।  किसी मान्यता प्राप्त	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

					जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	संस्था से न्यूनतम 6 माह की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पण :-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोर्ट मास्टर के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।</p>	<p><b>प्रोन्नति:-</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/- ₹) में ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और आशुलिपि (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- पात्र अभ्यर्थियों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की आशुलिपि (अंग्रेजी) की कौशल परीक्षा में भाग लेना होगा तथा उसमें उत्तीर्ण होना होगा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन:</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य के धारक हों;</p> <p>(ग) जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों; और</p> <p>(घ) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर</p>	<p><b>विभागीय प्रोन्नति समिति /चयन समिति प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल – सदस्य</p> <p>iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह “क” के अधिकारी – सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

	<p>नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.लेखाकार	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' के पद के समतुल्य।	स्तर - 6  (35,400-1,12,400/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा</p> <p><b>टिप्पण :-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखाकार के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी;  (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) लेखा और स्थापना कार्य का ज्ञान रखते</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल – सदस्य</p> <p>iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" के अधिकारी – सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

	<p>हों; (ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. सहायक	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' के पद के समतुल्य।	स्तर - 6 (35,400-1,12,400/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा</p> <p><b>टिप्पण :-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) लेखा और स्थापना कार्य का ज्ञान रखते हों;</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल – सदस्य</p> <p>iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" के अधिकारी – सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

	<p>(ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. न्यायिक सहायक (फाइलिंग)	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' के पद के समतुल्य।	स्तर - 6 (35,400-1,12,400/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	<b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन:</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य के धारक हों; (ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल – सदस्य iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" के अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

	<p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.वैयक्तिक सहायक।	05 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 6 (35,400-1,12,400/- ₹)।	अचयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि में डिग्री।  कौशल परीक्षा के मानदंड- आशुलिपि (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की अवधि का श्रुतलेखन और अंग्रेजी टंकक में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिप्यंतरण।  किसी मान्यताप्राप्त संस्था से न्यूनतम 6 माह की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	लागू नहीं होता।	ऐसे व्यक्ति जो प्रोन्नत हुए हैं, के लिए दो वर्ष।  सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।  <b>टिप्पण :-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैयक्तिक सहायक के पद पर	<b>प्रोन्नति:-</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी घ जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और आशुलिपि (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों। <b>टिप्पण 1:-</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पोषक श्रेणी में पद की अपेक्षित अर्हता सेवा के पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे:- i) रजिस्ट्रार, एपटेल – अध्यक्ष ii) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – सदस्य iii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल – सदस्य	लागू नहीं होता।

<p>नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।</p>	<p><b>टिप्पण 2 :-</b> पात्र अभ्यर्थियों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की आशुलिपि (अंग्रेजी) की कौशल परीक्षा में भाग लेना होगा तथा उसमें उत्तीर्ण होना होगा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) आशुलिपि (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों; (ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> पोषक श्रेणी के विद्युत अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>iv) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" के अधिकारी - सदस्य</p>	
---	--	---	--



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.पुस्तकालयाध्यक्ष।	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	स्तर - 6  (35,400- 1,12,400/- ₹)।	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु- सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि;  (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।  वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा  टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित	<b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी:- क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  i) निदेशक (प्रशासन), एपटेल - अध्यक्ष  ii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल - सदस्य  iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

समझें, ले सकते हैं।	<p>ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि या समतुल्य के धारक हों; और</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य सरकारी विभाग या उसके समतुल्य किसी पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष या सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।</p> <p>ग) कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
---------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. आशुलिपिक श्रेणी-घ।	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' के समतुल्य।	स्तर - 4  (25,500-81,100/- रु)।	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)  आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की या समतुल्य हो; (ii) कौशल परीक्षा के मानदंड- आशुलिपि (अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की अवधि का श्रुतलेखन और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण (अंग्रेजी) में 50 शब्द प्रति मिनट की गति से लिप्यंतरण।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पण :-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर आशुलिपिक श्रेणी-घ के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (₹19,900-63,200/) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की सेवा की हों; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखता हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>i) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" के अधिकारी – सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.रोकड़िया	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' के पद के समतुल्य।	स्तर - 2 (19,900-63,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा</p> <p><b>टिप्पण :-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर रोकड़िया के पद</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझे, ले सकते हैं।</p>	<p>सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/- ₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र या उसके समतुल्य रखता हो;</p> <p>(ग) रोकड़ और लेखा कार्यों का ज्ञान रखता हो; और</p> <p>(घ) कम्प्यूटर का ज्ञान रखता हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>i) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह “क” के अधिकारी – सदस्य</p>	
---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15. अवर श्रेणी लिपिका।	01 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' के पद के समतुल्य।	स्तर - 2 (19,900-63,200/- ₹)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)  आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की या समतुल्य हो; (ii) कौशल परीक्षा के मानदंड- कम्प्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण; या 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण (अनुमेय समयावधि 10	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पण :-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी जो उक्त पद पर स्थायी आमेलन के इच्छुक हैं, प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, उक्त पद पर स्थायी आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार ऐसा निर्णय, जो वह उचित समझें, ले सकते हैं।</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/-₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखता हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति पुष्टि पर विचार के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>i) निदेशक (प्रशासन), एपटेल – अध्यक्ष</p> <p>ii) प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी, एपटेल – सदस्य</p> <p>iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से समूह "क" के अधिकारी – सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. सं. 46/13/2017-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF POWER****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd March, 2021

**G.S.R. 208(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and in supersession of the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2004, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain posts in the Appellate Tribunal for Electricity, namely :-

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2021.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
- Application** – These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule-I annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix** – The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns(2) to (4) of the said Schedule-I.
4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns(5) to (13) of the aforesaid Schedule-I.
5. **Disqualification** – No person –
- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
8. **Other conditions of service** – (1) Officers and employees of the Appellate Tribunal for Electricity shall be entitled to the medical facilities as specified in Schedule II annexed to these rules.
- (2) Other conditions of service of the officers and employees of the Appellate Tribunal for Electricity, for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government drawing the pay and allowances in corresponding level in pay matrix.

**Schedule-I**  
[see rule 2,3, and 4]

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probations, if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Registrar.	01 (2021) *Subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "A" post in the Central Government.	Level – 14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-).	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation.	<b>Deputation :</b> Officers of the Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Court possessing degree in law from a recognized University or equivalent;	Search-Cum-Selection Committee consisting of :- i) Chairperson, APTEL – Chairman ii) Senior most Technical Member,	Not applicable.

	<p>(a) Holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(b) With two years regular service in the post in level 13 A in the pay matrix; or</p> <p>(c) With Three years regular service in the post in level 13 in the pay matrix; or</p> <p>(d) Holding the post of District Judge or Additional District Judge or Registrar or Additional Registrar, on regular basis; or</p> <p>(e) With five years regular service in the post of Joint Registrar of a High Court.</p> <p><b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>APTEL – Member</p> <p>iii) Additional Secretary or above in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department to be nominated by the Secretary, Legislative Department –Member</p>	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Deputy Registrar .	02 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group “A” post in the Central Government.	Level – 12 (Rs.78,800-2,09,200/-).	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation / absorption  Officer appointed on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.	Officers of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Tribunal or Recognized Universities of Central or State Government, possessing degree in law from a recognized University or equivalent;  (a) Holding analogous post on regular basis; or (b) With Five years regular service in the post in level 11 in the pay matrix; or (c) With ten years combined regular service in the post in level 10 and level 11 in the pay matrix; or (d) Holding the post of Additional Registrar or Joint Registrar or Deputy Registrar in a High Court, on regular basis; or (e) With five years regular service as Judicial Officer in a High Court.  <b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central	DPC-CUM-Selection Committee consisting of :-  i) Chairperson, APTEL – Chairman  ii) Judicial Member or in his absence Senior-most Member, APTEL – Member  iii) Registrar, APTEL - Member  iv) Group-“A” Officer of the level-13 or above in the Pay Matrix from any other Ministry or Department of the Central Government - Member	Not applicable.

	Government shall be five years. <b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Director (Administration).	01 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "A" post in the Central Government.	Level – 12 (Rs.78,800-2,09,200/-).	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By Promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion</b> Administrative-Cum-Accounts Officer with five years regular service in the post of level 11 in the pay matrix.</p> <p>(a) having five years experience in the area of Administration, Personnel Management, Establishment matters, accounting and protocol;</p> <p>(b) possessing Bachelor's degree from a recognized University or equivalent.</p> <p><b>Note 1:-</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the required qualifying service in the post in the feeder grade.</p> <p><b>Deputation :-</b> Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Tribunals :-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii)with five years regular service in the post in level 11 in the pay matrix; or (iii)with eight years combined regular service in the post in level 9 and level 10 in the pay matrix.</p> <p>(b) having five years experience in the area of Administration, Personnel Management, Establishment matters accounting and protocol in officers of the Central or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Tribunals; and</p> <p>(c) possessing Bachelor's degree from a recognised University or equivalent.</p> <p><b>Note 1:-</b> The officer of the Appellate Tribunal for Electricity in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:-</b> The period of deputation including</p>	<p>DPC/Selection Committee Consisting :-</p> <p>i) Chairperson, APTEL – Chairman</p> <p>ii) Senior-most Technical Member, APTEL – Member</p> <p>iii) Registrar, APTEL - Member</p> <p>iv) Group-"A" Officer of the level-13 or above in the Pay Matrix from any other Ministry or Department of the Central Government - Member</p>	Not applicable



	the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.		
	<b>Note 3:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Administrative-Cum-Accounts Officer.	01 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "A" post in the Central Government.	Level – 11 (Rs.67,700-2,08,700/-).	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation/absorption. <b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Administrative-Cum-Accounts Officer on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate	<b><u>For deputation/absorption :-</u></b> Officer of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular services in the post in level 9 or level 10 or both combined in the pay matrix or equivalent; (iii) with six years regular service in the post in level 8 in the pay matrix or equivalent; (b) possessing a Bachelor's degree from a recognized University or equivalent and having five years experience in Administrative, Accounts, Establishment matters and protocol in office of the Central Government Bodies. Desirable : A pass in Subordinate Audit/Accounts Service (SAS) or equivalent examination conducted by any of the recognized Accounts Department of the Central/State Government. <b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years. <b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.	DPC/Selection Committee consisting of :- i) Chairperson, APTEL – Chairman ii) Senior-most Technical Member, APTEL – Member iii) Registrar, APTEL - Member iv) Group-"A" Officer of the level of Deputy Secretary from any other Ministry or Department of the Central Government - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Principal Private Secretary.	05 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "A" post in the Central Government	Level – 11 (Rs.67,700-2,08,700/-).	Selection.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Two years for officers who are promoted from Group B to this post.

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>By promotion failing which by deputation/absorption.</p> <p><b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Principal Private Secretary on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.</p>	<p><b>Promotion :-</b> Private Secretary with six years regular service in level 8 in the pay matrix or Court Master with seven years regular service in level 7 in the pay matrix, and possessing speed of 120 words per minute in stenography (English).</p> <p><b>Note 1:-</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the required qualifying service in respective post in the feeder grade.</p> <p><b>Note 2 :-</b> Eligible candidates have to undergo the skill test of stenography (English) @ 120 words per minute for 5 minutes and qualify the test.</p> <p><b>Deputation/absorption:</b> Officer of the Central Government or State Government or High Court or District Court or</p> <p>Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii)with five years regular services in the post in level 9 in the pay matrix or equivalent; (iii)with six years regular service in the post in level 8 in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing speed in stenography of 120 words per minute (English); and (c) Having knowledge of computers.</p> <p><b>Note 1:-</b> The officer of the Appellate Tribunal for Electricity in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 3:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>DPC/Selection Committee consisting of :-</p> <p>i) Chairperson, APTEL – Chairman</p> <p>ii) Judicial Member or in his absence Senior-most Technical Member, APTEL – Member</p> <p>iii) Registrar, APTEL - Member</p> <p>iv) Group-“A” Officer of the level of Deputy Secretary from any other Ministry or Department of the Central Government - Member</p>	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Private Secretary.	05 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "B" post in the Central Government.	Level – 8 (Rs.47,600-1,51,100/-).	Non-Selection.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>By promotion failing which by deputation/absorption.</p> <p><b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Private Secretary on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.</p>	<p><b>Promotion :-</b> Personal Assistant with six years regular service in level 6 in the pay matrix and possessing speed of 100 words per minute in stenography (English).</p> <p><b>Note 1:-</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the required qualifying service in respective post in the feeder grade.</p> <p><b>Note 2 :-</b> Eligible candidates have to undergo the skill test of stenography (English) @ 100 words per minute for 5 minutes and qualify the test.</p> <p><b>Deputation/absorption:</b> Officer of the Central Government or State Government or High Court or District Court or</p> <p>Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii)with six years regular services in the post in level 6 in the pay matrix or equivalent; (b) possessing speed in stenography of 100 words per minute (English); and (c) Having knowledge of computers.</p> <p><b>Note 1:-</b> The officer of the Appellate Tribunal for Electricity in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 3:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>DPC/Selection Committee consisting of :-</p> <p>i) Registrar, APTEL – Chairman</p> <p>ii) Director(Admn., APTEL – Member</p> <p>iii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL - Member</p> <p>iv) A Group-"A" Officer of the level of Under Secretary from any other Ministry or Department of the Central Government - Member</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.Court Master.	04 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "B" post in the Central Government.	Level – 7 (Rs.44,900-1,42,400/-).	Non-Selection.	Not exceeding 30 years (Upper age limit is relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders issued by Government from time to time.  The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.	Essential : Degree in Law with at least 55% marks from any recognized University.  Skill test norms. Dictation of 10 minutes duration at the speed of 80 words per minute in shorthand (English) and Transcription at the speed of 40 words per minute in typewriting in English.  Computer training course of at least 6 months duration from a recognized institution.	Not Applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>By promotion failing which by deputation/absorption failing both by direct recruitment.</p> <p><b>Note</b> :- Officer appointed on the post of Court Master on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.</p>	<p><b>Promotion :-</b> Personal Assistant with five years regular service in level 6 in the pay matrix and possessing speed of 100 words per minute in stenography (English).</p> <p><b>Note 1:-</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the required qualifying service in respective post in the feeder grade.</p> <p><b>Note 2 :-</b> Eligible candidates have to undergo the skill test of stenography (English) @ 100 words per minute for 5 minutes and qualify the test.</p> <p>Deputation/absorption: Officer of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii)with five years regular services in the post in level 6 in the pay matrix or equivalent; (b) possessing Bachelor's degree from a recognized university or equivalent; (c) possessing speed in stenography of 100 words per minute (English); and (c) Having knowledge of computers.</p> <p><b>Note 1:-</b> The officer of the Appellate Tribunal for Electricity in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>DPC/Selection Committee consisting of :-</p> <p>i) Registrar, APTEL – Chairman ii) Director(Admn., APTEL – Member iii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL - Member iv) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member</p>	Not applicable.

	<p><b>Note 2:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 3:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Accountant.	01 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "B" post in the Central Government.	Level – 6 (Rs.35,400-1,12,400/-).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation/absorption.  Note :- Officer appointed on the post of Accountant on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.	<p><b>Deputation/absorption:-</b> Officer of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular services in the post in level 5 in the pay matrix or equivalent; or (iii) with ten years regular services in the post in level 4 in the pay matrix or equivalent;</p> <p>(b) Having knowledge of Accounts and Establishment work;</p> <p>(c) Having knowledge of computers.</p> <p><b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>DPC/Selection Committee consisting of :-</p> <p>i) Registrar, APTEL – Chairman</p> <p>ii) Director (Admn., APTEL – Member</p> <p>iii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL - Member</p> <p>iv) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. Assistant.	01 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "B" post in the Central Government.	Level – 6 (Rs.35,400-1,12,400/-).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation/absorption.	<p><b>Deputation/absorption:-</b> Officer of the Central Government or State Government or High Court or District</p>	<p>DPC/Selection Committee consisting of :-</p> <p>i) Registrar, APTEL –</p>	Not applicable.

<p><b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Assistant on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.</p>	<p>Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular services in the post in level 5 in the pay matrix or equivalent; or (iii) with ten years regular services in the post in level 4 in the pay matrix or equivalent;</p> <p>(b) Having knowledge of Accounts and Establishment work;</p> <p>(c) Having knowledge of computers.</p> <p><b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Chairman</p> <p>ii) Director(Admn., APTEL – Member</p> <p>iii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL - Member</p> <p>iv) A Group-“A” Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member</p>	
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. Judicial Assistant (Filing).	01 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group “B” post in the Central Government.	Level – 6 (Rs.35,400-1,12,400/-).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>By deputation/absorption.</p> <p><b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Judicial Assistant (Filing) on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.</p>	<p><b>Deputation/absorption:-</b> Officer of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular services in the post in level 5 in the pay matrix or equivalent; or (iii) with ten years regular services in the post in level 4 in the pay matrix or equivalent;</p> <p>(b) possessing degree in law from a recognized University or equivalent</p> <p>(c) Having knowledge of computers.</p> <p><b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p>	<p>DPC/Selection Committee consisting of :-</p> <p>i) Registrar, APTEL – Chairman</p> <p>ii) Director (Admn., APTEL – Member</p> <p>iii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL - Member</p> <p>iv) A Group-“A” Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member</p>	<p>Not applicable.</p>

	<b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. Personal Assistant.	05 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "B" post in the Central Government.	Level – 6 (Rs.35,400-1,12,400/-).	Non-Selection.	Not exceeding 30 years (Upper age limit is relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders issued by Government from time to time.  The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.	Essential : Degree in Law with at least 55% marks from any recognized University.  Skill test norms. Dictation of 10 Minutes duration at the speed of 80 words per minute in shorthand (English) and Transcription at the speed of 40 words per minute in typewriting in English.  Computer training course of at least 6 months duration from a recognized institution.	Not Applicable.	Two years for those who are promoted from Group-C to this post. Two years for Direct Recruit.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation/absorption failing both by direct recruitment.  <b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Personal Assistant on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.	<b>Promotion :-</b> Stenographer Grade D with ten years regular service in level 4 in the pay matrix and possessing speed of 80 words per minute in stenography (English).  <b>Note 1:-</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the required qualifying service in respective post in the feeder grade.  <b>Note 2 :-</b> Eligible candidates have to undergo the skill test of stenography (English) @ 80 words per minute for 5 minutes and qualify the test.  <b>Deputation/absorption:</b> Officer of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government.  (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with ten years regular services in the post in level 4 in the pay matrix or equivalent; (b) possessing speed in stenography (English) of 80 words per minute; (c) Having knowledge of computers.	DPC/Selection Committee consisting of :- i) Registrar, APTEL – Chairman ii) Director(Admn., APTEL – Member iii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL - Member iv) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member	Not applicable.

	<p><b>Note 1:-</b> The officer of the Appellate Tribunal for Electricity in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 3:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12. Librarian.	01 (2021) *subject to variation depending on workload..	Equivalent to Group "B" post in the Central Government.	Level – 6 (Rs.35,400-1,12,400/-).	Not Applicable.	Not exceeding 30 years (Upper age limit is relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders issued by Government from time to time.  The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.	Essential : (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute;  (ii) Two years professional experience in a Library under the Central Government or State Government or Government Autonomous or Statutory Organization/PSU/ University.  Desirable : Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.	Not Applicable.	Two years for Direct Recruit.

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation/absorption failing both by direct recruitment.  <b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Librarian on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such	<b>Deputation/absorption :-</b> Officers of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government:-  (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in the post in level 5 in the pay matrix or equivalent; or (iii) with ten years regular service in the post in level 4 in the pay matrix or equivalent;  (b) (i) possessing a degree in Library Science from a recognized University or equivalent (ii) having five years experience as Librarian or Assistant Librarian in the	DPC/Selection Committee consisting of :-  i) Registrar, APTEL – Chairman ii) Director(Admn., APTEL – Member iii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL - Member iv) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member	Not applicable.



<p>decision, as it considers appropriate.</p>	<p>Library of the Central Government or State Government or High Court or recognized University or any other Government Department or equivalent.</p> <p>(c) Having knowledge of computers.</p> <p><b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. Stenographer Grade-D.	01 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "C" post in the Central Government.	Level - 4 (Rs.25,500-81,100/-).	Non-Selection.	Between 18-27 Years (Relaxable for Government Servant upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	Essential : (i) 12 <sup>th</sup> class pass from a recognized Board or equivalent; (ii) Skill Test Norms: Dictation of 10 minutes duration at the speed of 80 words per minute in Shorthand (English) and transcription at the speed of 50 words per minute in typewriting (English) on computer.	Not Applicable.	Two years for Direct Recruit.
					The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.			

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>By deputation/absorption failing both by direct recruitment.</p> <p><b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Stenographer Grade-D on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on</p>	<p><b>Deputation/absorption :-</b> Officers of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with eight years regular services in the level 2 in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the qualifications prescribed</p>	<p>DPC/Selection Committee consisting of :-</p> <p>i) Director (Admn.), APTEL – Chairman</p> <p>ii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL – Member</p> <p>iii) A Group-"A" Officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member</p>	Not applicable.

deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate	for direct recruits under column 7		
	<p><b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14. Cashier.	01 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "C" post in the Central Government.	Level – 2 (Rs.19,900-63,200/-).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation/absorption.  <b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Cashier on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.	<p><b>Deputation/absorption :-</b> Officers of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government :-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular services in the post in the level 1 in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) possessing 10+2 pass certificate from a recognized Board or equivalent;</p> <p>(c) having knowledge of cash and accounts work; and</p> <p>(d) having knowledge of computer.</p> <p><b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	DPC/Selection Committee consisting of :- i) Director (Admn.), APTEL – Chairman ii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL – Member iii) A Group-“A” Officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.Lower Division Clerk.	01 (2021) *subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group "C" post in the Central Government.	Level – 2 (Rs.19,900-63,200/-).	Not applicable.	Between 18-27 Years (Relaxable for Government Servant upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the	Essential : (i) 12 <sup>th</sup> class pass from a recognized Board or equivalent; (ii) Skill Test Norms: English typing with	Not Applicable.	Two years for Direct Recruit.

					Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).  The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application	the speed of 35 words per minute; or Hindi typing with the speed of 30 words per minute (Time allowed 10 minutes) on computer.		
--	--	--	--	--	---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation/absorption failing both by direct recruitment.  <b>Note :-</b> Officer appointed on the post of Lower Division Clerk on deputation basis and willing to get permanently absorbed on the said post, may on completion of two years of service on deputation terms, exercise his/her option for permanent absorption on the said post and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate	<b>Deputation/absorption :-</b> Officers of the Central Government or State Government or High Court or District Court or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Tribunals or Recognized Universities of Central or State Government:-  (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular services in the post in the level 1 in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7  <b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall be five years.  <b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.	DPC/Selection Committee consisting of :-  i) Director (Admn.), APTEL – Chairman  ii) Admn.-Cum-Accounts Officer, APTEL – Member  iii) A Group-“A” Officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member	Not applicable.

[F. No. 46/13/2017-R&amp;R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.